

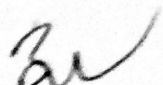
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमती सीता देवी खटीक बनाम श्री लादूलाल खटीक बगैराह

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 185/2022

26.04.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-185/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती सीता देवी पत्नी हरिशंकर खटीक, निवासी जवाहरनगर भीलवाडा

-प्रार्थीया

बनाम

- 1 श्री लादूलाल पिता देवी लाल खटीक, निवासी पटवार भवन के पास पान्सल तहसील व जिला भीलवाडा।
- 2 श्री रामनारायण पिता भवर लाल दरोगा, निवासी मांगीलाल चक्की वाले के पास गढ के पास पान्सल तहसील व जिला भीलवाडा।
- 3 श्री शोभाग खां पिता केसर खा निवासी गढ के पास पान्सल तहसील व जिला भीलवाडा।
- 4 श्री गोपाल लाल पिता मोडू बलाई, निवासी मेन रोड पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
- 5 श्री रमेश पिता मोडू बलाई, निवासी मेन रोड पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
- 6 श्री देवी लाल पिता रतना खटीक, निवासी चपरासी कॉलोनी, भीलवाडा
- 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा राज।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26.04.2022

प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पान्सल प0ह0 पान्सल भू0अ0नि0 पान्सल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1483 रकबा 0.1897 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम पान्सल प0ह0 पान्सल भू0अ0नि0 पान्सल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1483 रकबा 0.1897 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पान्सल प0ह0 पान्सल भू0अ0नि0 पान्सल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1483 रकबा 0.1897 हेक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 50/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीया जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पान्सल 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जाएँ। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पान्सल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा